GOVERNMENT OF HARYANA
SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT

ORDER

ORDER NO. 4/7-2020 PGT-III (2) DATED, CHANDIGARH, THE 13.02.2020

Sh. Anil Kumar [036842] PGT Commerce repatriated from Development and Panchayat Department, Haryana, Chandigarh is hereby adjusted at Govt. Sr. Sec. School (Bhiwani Road) [2672], Rohtak against vacant post.

Dr. Mahavir Singh, IAS
Principal Secretary to Govt. Haryana,
School Education Department,
Chandigarh

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL SECONDARY EDUCATION
HARYANA, PANCHKULA

Endst. No. Even **Dated, Panchkula, the** 13/2/20

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. The District Education Officer, Rohtak.
2. Principal, Govt. Sr. Sec. School, Rohtak (Bhiwani Road) [2672].
3. Official concerned.
4. Assistant No. 9 for updation on MIS Portal.
5. I.T Cell (H.Q) for uploading the orders on official website.

Superintendent PGT-III
for Director General Secondary Education,
Haryana Panchkula

E:\Kuldeep\Office Order\Adjustement Order.Docx

GOVERNMENT OF HARYANA
SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
CHANDIGARH

No. 18/507-2019 PGT-IV (3) **Dated, Chandigarh, 07.02.2020**

In accordance with the instructions contained in Haryana Government Finance Department Notification No. 1/83/2008/1 PR (FD), dated 31.12.2008 and letter dated 04-03-2014 and Notification No. 1/20/2016(ACP)-5 PR (FD) dated 28.10.2016, **Smt. Neelam Rani, PGT Accountancy & Auditing, GGSSS Bhiwani, District Bhiwani** is hereby granted **2nd ACP** in the 9300-34800-GP 6000/- (ACPL-13) w.e.f. **01.01.2019** after completion of 16 years regular satisfactory service. It is being granted only in lieu of promotion/non availability of promotion avenues for the time being and is liable to be withdrawn without any notice in the event of forgoing/declining of hierarchical promotion.

Amneet P. Kumar
Secretary to Government Haryana
School Education Department
Haryana, Panchkula

OFFICE OF DIRECTOR GENERAL SECONDARY EDUCATION, HARYANA, PANCHKULA

Endst. No. 18/507-2019 PGT-IV (3) **Dated, Panchkula the** 13/02/2020

A copy of the above is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. The Principal, Accountant General (A&E) Haryana, Chandigarh.
2. District Education Officer, District Bhiwani w.r.t. their memo No. E-II/19/6864, dated 11.09.2019 Panchkula alongwith service book of Smt. Neelam Rani, PGT Accountancy & Auditing, GGSSS Bhiwani, District Bhiwani.
3. Treasury Officer concerned.
4. Principal, GGSSS Bhiwani, District Bhiwani.
5. Smt. Neelam Rani, PGT Accountancy & Auditing, GGSSS Bhiwani, District Bhiwani.
6. I.T. Cell (Local).

DA/As above.

12/02/2020

Dy. Superintendent PGT-IV
for Director General Secondary Education
Haryana, Panchkula

GOVERNMENT OF HARYANA
SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
CHANDIGARH

No. 18/498-2019 PGT-IV (1) **Dated, Chandigarh, 23.01.2020**

In accordance with the instructions contained in Haryana Government Finance Department Notification No. 1/83/2008/1 PR (FD), dated 31.12.2008 and letter dated 04-03-2014 and Notification No. 1/20/2016(ACP)-5 PR (FD) dated 28.10.2016, **Sh. Naveen Kumari, PGT History, GGSSS Jakholi, District Sonepat** is hereby granted **2nd ACP** in the ACPL-13 w.e.f. **01.10.2019** after completion of 16 years regular satisfactory service. It is being granted only in lieu of promotion/non availability of promotion avenues for the time being and is liable to be withdrawn without any notice in the event of forgoing/declining of hierarchical promotion.

Amneet P. Kumar
Secretary to Government Haryana
School Education Department
Haryana, Panchkula

OFFICE OF DIRECTOR GENERAL SECONDARY EDUCATION, HARYANA, PANCHKULA

Endst. No. 18/498-2019 PGT-IV (1) **Dated, Panchkula the** 13/2/2020

A copy of the above is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. The Principal, Accountant General (A&E) Haryana, Chandigarh.
2. District Education Officer, Sonepat w.r.t. their memo No. E-6-19/1855-56, dated 05.11.2019 alongwith service book of Sh. Naveen Kumari, PGT History, GGSSS Jakholi, District Sonepat.
3. Treasury Officer concerned.
4. Principal, GGSSS Jakholi, District Sonepat.
5. Sh. Naveen Kumari, PGT History, GGSSS Jakholi, District Sonepat.
6. I.T. Cell (Local).

DA/As above.

Dy. Superintendent PGT-IV
for Director General Secondary Education
Haryana, Panchkula

GOVERNMENT OF HARYANA
SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
CHANDIGARH

No. 18/429-2019 PGT-IV (1) **Dated, Chandigarh, 07.02.2020**

In accordance with the instructions contained in Haryana Government Finance Department Notification No. 1/83/2008/1 PR (FD), dated 31.12.2008 and letter dated 04-03-2014 and Notification No. 1/20/2016(ACP)-5 PR (FD) dated 28.10.2016, **Sh. Moman Ram, PGT Mathematics, GSSS Garhi Jattan, District Karnal** is hereby granted **2nd ACP** in the ACPL-12 (9300+34800-PB-12 GP 5400/-) w.e.f. **01.03.2018** after completion of 16 years regular satisfactory service. It is being granted only in lieu of promotion/non availability of promotion avenues for the time being and is liable to be withdrawn without any notice in the event of forgoing/declining of hierarchical promotion.

Amneet P. Kumar
Secretary to Government Haryana
School Education Department
Haryana, Panchkula

OFFICE OF DIRECTOR GENERAL SECONDARY EDUCATION, HARYANA, PANCHKULA

Endst. No. 18/429-2019 PGT-IV (1) **Dated, Panchkula the** 14-2-2020

A copy of the above is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. The Principal, Accountant General (A&E) Haryana, Chandigarh.
2. District Education Officer, Karnal alongwith w.r.t. their memo No. E-2/ 19/7452, dated 30.09.2019 service book of Sh. Moman Ram, PGT Mathematics, GSSS Garhi Jattan, District Karnal.
3. Treasury Officer concerned.
4. Principal, GSSS Garhi Jattan, District Karnal.
5. Sh. Moman Ram, PGT Mathematics, GSSS Garhi Jattan, District Karnal.
6. I.T. Cell (Local).

DA/As above.

14/2/2020

Dy. Superintendent PGT-IV
for Director General Secondary Education
Haryana, Panchkula

GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education
विद्यालय शिक्षा निदेशालय

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development
School Education, Haryana
विद्यालय शिक्षा, हरियाणा
तमसो मा ज्योतिर्गमय
Lead me from Darkness to Light

Off.: Shiksha Sadan, Sector 5, Panchkula, Haryana 134109 (India) - Tel: 91(0172)-2560246 Fax: 91(0172)-2560253
कार्यालयः शिक्षा सदन, सैक्टर 5 पंचकुला–134109 (भारत) दूरभाष : 91 (0172) 2560246 फैक्स: 91 (0172) 2560253
e-mail: edusecondaryhry@gmail.com - site: www.schooleducationharyana.gov.in

ORDER NO. 20/36-2020 PGT-II (3) **DATED, PANCHKULA 14.02.2020**

Smt. Anita, PGT Home Science, Govt. Sr. Sec. School, Sultanpur (Hisar) is hereby granted Child Care Leave w.e.f. **14.02.2020 to 13.08.2020 (6 Months)** as per Finance Department instructions No. 11/102/2009-3 FR dated 05.02.2010, dated 05.11.2012 and letter No. 11/102/2009-3FR/ 28067 dated 01.02.2016.

AMNEET P. KUMAR, IAS
DIRECTOR GENERAL SECONDARY EDUCATION
HARYANA PANCHKULA

ENDST. NO. EVEN **DATED, PANCHKULA THE** 14-02-2020

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. The District Education Officer, **Hisar** w.r.t. their letter No. E-VI-2020/6187 dated 17.01.2020.
2. Principal/Headmaster concerned.
3. Official concerned.
4. IT Cell (Local) for uploading the orders on office website.

Dy. Superintendent PGT-II
for Director General Secondary Education,
Haryana, Panchkula

GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
Directorate School Education
विद्यालय शिक्षा निदेशालय

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development
School Education, Haryana
विद्यालय शिक्षा, हरियाणा
तमसो मा ज्योतिर्गमय
Lead me from Darkness to Light

Off.: Shiksha Sadan, Sector 5, Panchkula, Haryana 134109 (India) - Tel: 91(0172)-2560246 Fax: 91(0172)-2560253
कार्यालयः शिक्षा सदन, सैक्टर 5 पंचकुला–134109 (भारत) दूरभाष : 91 (0172) 2560246 फैक्सः 91 (0172) 2560253
e-mail: edusecondaryhry@gmail.com - site: www.schooleducationharyana.gov.in

Regd/Email

From

Director General Secondary Education, Haryana
Shiksha Sadan, Sector-5, Panchkula.

To

Director,
SCERT, Haryana Gurugram.

Memo No. 12/3-2020 HRG-I (3)
Dated, Panchkula, the

Subject: **Permission to go abroad – Smt. Urmila Devi, Principal, DIET Sector-2, Panchkula.**

****

Kindly refer on the subject cited above.

The permission is hereby accorded to Smt. Urmila Devi, Principal, DIET Sector-2, Panchkula to go to Dubali for Tourism Purpose from 19.02.2020 to 24.02.2020 on the following conditions:-

1. That she will obtain prior permission from competent authority after got leave sanctioned.
2. That she will hand over the charge before going abroad.
3. That this permission is subject to condition that she will not join any Govt. or Non Govt. Job in abroad.
4. That there will no financial burdens on the State exchequer.
5. That she will not extend leave from abroad in any circumstances.
6. That she will abide by all the rules and will be faith full to the Constitution of India.
7. That security record of the Government will not be effected in anyway due to his going to abroad.

Sd/-
Deputy Superintendent HRG-I
for Director General Secondary Education,
Haryana, Panchkula 13/02/2020

Endst. No. Even Dated, Panchkula, the

A copy is forwarded to following for information and necessary action:-

1. District Institute of Education and Training, Sector -2, Panchkula in reference to your office Memo No. 4206 dated 18.01.2019.
2. Smt. Urmila Devi, Principal, DIET Sector-2, Panchkula.
3. ~~IT~~ Cell (Local).

Deputy Superintendent HRG-I
for Director General Secondary Education,
Haryana, Panchkula

GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education
विद्यालय शिक्षा निदेशालय

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development
School Education, Haryana
विद्यालय शिक्षा, हरियाणा
तमसो मा ज्योतिर्गमय
Lead me from Darkness to Light

www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

ORDER No. 2/6-2016 HRME-I (4) **DATED, PANCHKULA: 12.02.2020**

The following Assistant who was promoted as Deputy Superintendent vide order dated 29.11.2019 is hereby adjusted against vacant post of Deputy Superintendent with immediate effect:-

Sr. No.	Sen. No. as on	Emp. ID	Emp.Name	Designation	Present place of posting	After promotion place of posting	Now where adjusted
1	196	017957	Sh. Banarsi Dass	Assistant	DEO Hisar [4158]	DEO Panchkula [4142]	DEO Fatehabad [4070]

Note:- All other terms and conditions would be same as per promotion order.

DR.MAHABIR SINGH
PRINCIPAL SECRETARY TO GOVT. OF HARYANA
SCHOOL EDUCATION, HARYANA,
CHANDIGARH

ENDST. No. Even **DATED PANCHKULA,** 13/02/2020

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. District Education Officers/Head of institutions concerned. The joining/relieving report of the promoted officials may please be sent to this office within three days positively and also update the MIS portal.
2. Accountant General (A&E) Haryana,Panchkula
3. PS/OSD-I/II, PS/EM, PS/CEL.
4. PS/DSE
5. Official concerned.
6. IT Cell is requested to update the above official data and promotion list upload in department website.
7. Data Entry Operator (HRME Branch) he is requested to update the data of the concerned official on the website/MIS Portal please.

13/2/2020

SUPERINTENDENT HRME-I
FOR DIRECTOR GENERAL SECONDARY EDUCATION
HARYANA, PANCHKULA

Regd.

From

The Director General
Secondary Education, Haryana,
Shiksha Sadan, Sector-5, Panchkula.

To

The District Education Officer,
Gurugram.

Memo No. 14/5-2020 PGT-IV (1)
Dated, Panchkula the

Subject:- **Regarding granting permission for going abroad–Smt. Niraj Kalra, PGT Physics, Govt. Sr. Sec. School, Chakkarpur, District Gurugram (Haryana).**

Kindly refer to your office memo No. E-2/2019/156 dated 27.01.2020 on the subject cited above.

The permission of the Government is hereby accorded to **Smt. Niraj Kalra, PGT Physics, Govt. Sr. Sec. School, Chakkarpur, District Gurugram (Haryana)** to go abroad at **Sydney (Australia)** for the purpose of tourism from **13.02.2020 to 12.04.2020** on the following conditions:-

1. That he/she will go abroad after got leave sanctioned.
2. That he/she will hand over the charge before going abroad.
3. That this permission is subject to condition that he/she will not join any Govt. or Non Govt. job in abroad.
4. That there will be no financial burden on the State exchequer.
5. That he/she will not extend leave from abroad in any circumstances.
6. That he/she will abide by all the rules and will be faith full to the Constitution of India.
7. That security record of the Government will not be affected in anyway due to her going to abroad.

Dy. Superintendent PGT-IV
for Director General Secondary Education
Haryana, Panchkula

Endst No. Even **Dated Panchkula the** 13/2/2020

A copy of the above is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. Principal, Govt. Sr. Sec. School, Chakkarpur, District Gurugram (Haryana).
2. Smt. Niraj Kalra, PGT Physics, Govt. Sr. Sec. School, Chakkarpur, District Gurugram (Haryana).
3. I.T Cell (H.Q) for uploading the orders on the official website.

13/2/2020

Dy. Superintendent PGT-IV
for Director Geneal Secondary Education
Haryana, Panchkula

GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
Directorate School Education
विद्यालय शिक्षा निदेशालय
e-mail: edusecondary@hry.nic.in

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development
EDUCATION DEPARTMENT
शिक्षा विभाग, हरियाणा
तमसो मा ज्योतिर्गमय
From Darkness lead me to Light

आदेश कमांक 5/18-2019 HRME-I (3) **दिनांक, पंचकुला** 06/02/2020

1. इसके द्वारा **श्री रामनिवास, लिपिक, रा0उ0वि0, जयपुर, जीन्द** को सूचित किया जाता है कि संलग्न विवरण में दिये गये आरापों के आधारों पर हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 के नियम–7 के अन्तर्गत उनके विरूद्ध कार्यवाही करना प्रस्तावित किया गया है। ये आरोप उससे अनुबद्ध अभिकथनों के विवरण पर आधारित है।

2. इसके द्वारा **श्री रामनिवास, लिपिक** से उनकें द्वारा इस ज्ञापन की प्राप्ति की तिथि से 45 दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में बताने की अपेक्षा की जाती है कि वे सभी आरोपों या उनमें से किसी को स्वीकार करते हैं या नहीं। उन्हें स्पष्टीकरण या प्रतिवेदन, यदि कोई, प्रस्तुत करना है और क्या वे व्यक्तिगत रूप में अपनी सुनवाई चाहते हैं।

3. इसके द्वारा **श्री रामनिवास, लिपिक** को आगे सूचित किया जाता हैं कि यदि वे अपने लिखित कथन को तैयार करने के प्रयोजन के लिए सुसंगत सरकारी अभिलेखों को देखना चाहते है तो उन्हें निदेशक विद्यालय शिक्षा हरियाणा, पंचकुला के कार्यालय में उनके साथ पहले समय नियत करने के बाद, किसी कार्य दिवस को, उनका निरीक्षण कर सकते है। फिर भी यह बताया जाता है कि उन्हें केवल ऐसे ही दस्तावेज दिखाये जायेंगे, जोकि निदेशक विद्यालय, शिक्षा हरियाणा, पंचकुला के पास हैं और जो मामले के साथ पूरी तरह से सुसंगत हैं। यदि सरकार की राय में उन्हें किन्ही दस्तावेजो को दिखाने की अनुमति देना वांछनीय नहीं है तो उन्हे यह दस्तावेज दिखाने से इन्कार कर दिया जायेगा। यदि **श्री रामनिवास, लिपिक** ऐसे किसी अन्य सुसंगत अभिलेख को देखना चाहते है जो निदेशक विद्यालय शिक्षा हरियाणा, पंचकुला की अभिरक्षा में नही है तो उनका निरीक्षण करने की जिम्मेवारी उनकी अपनी होगी। फिर भी **श्री रामनिवास, लिपिक** को यह बात स्पष्ट की जाती है कि उनके द्वारा उक्त दस्तावेज का निरीक्षण न किया जा सकना उनके लिखित कथन को भेजने में देरी के लिए वैध आधार नहीं माना जायेगा और यदि लिखित कथन निम्नहस्ताक्षरकर्ता को निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है तो यह समझा जायेगा कि उन्हे इस सम्बन्ध में कुछ भी प्रस्तुत नहीं करना है।

4. लिखित कथन सीधे निम्नहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करना चाहियें।

5. संलग्न पत्रों सहित इस ज्ञापन की पावती भेज दी जाये।

(सतिन्द्र सिवाच)
संयुक्त निदेशक प्रशासन–I
का0 निदेशक सकैण्डरी शिक्षा हरियाणा
पंचकुला।

Regd.
सेवा में,

श्री रामनिवास, लिपिक
रा0उ0वि0, जयपुर, जीन्द।

पृष्ठांकन क्रमांक सम **दिनांक, पंचकुला:–**

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतू भेजी जाती है:–

1. **जिला शिक्षा अधिकारी, जीन्द।**
2. **आई0टी0 सैल।**

6/2/2020

अधीक्षक एच0आर0एम0ई0
कृते: निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा हरियाणा
पंचकूला।

D:\jaiwa\Sudha Ji\Chargesheet\Ramniwas-7.doc

आरोपों का विवरण विरूद्व श्री रामनिवास, लिपिक, रा०व०मा०वि०, काहनी, रोहतक वर्तमान लिपिक, रा०उ०वि०, जयपुर, जीन्द।

श्री रामनिवास, लिपिक ने वर्ष 2012 से 2017 तक रा०व०मा०वि०, काहनी, रोहतक में कार्य करते हुए निम्नलिखित अनियमितताएं की हैः–

यह कि आप दिनांक 16.07.2012 से 23.06.2014, 21.10.2014 से 20.07.2016, 12.08.2016 से 14.08.2016, 23.08.2016, 14.10.2016 से 05.11.2016, 21.11.2016, 23.11.2016, 26.11.2016, 28.11.2016 तथा 29.11.2016, 02.12.2016 से 04.12.2016, 13.12.2016, 23.12.2016, 09.01.2017, 23.01.2017, 24.01.2017 कुल 3 वर्ष 9 माह 20 दिनों तक कार्यालय/विद्यालय में जान बुझकर अनुपस्थिति रहे जो कि आप के स्तर पर घौर कोताही है।

यह कि आप द्वारा (आचरण निमय 2016) की धारा 4 और नियम–5 (viii) की उलघंना की गई जिसके लिए आप स्वंय जिम्मेवार है।

इस प्रकार श्री रामनिवास, लिपिक ने उपरोक्त अनियमितताएं करते हुए हरियाणा कर्मचारी आचरण नियमावली 2016 के नियम, 4 (1) (ii) तथा (iii) और नियम–5 (viii) की उल्लंघना की है।

उपरोक्त अनियमितताएं **भूतपूर्व लिपिक, श्री रामनिवास, रा०व०मा०वि०, काहनी, रोहतक वर्तमान लिपिक, रा०उ०वि०, जयपुर, जीन्द** के गंभीर कदाचार को व्यक्त करती है। ऐसा करके उन्होनें हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 की धारा–7 के अन्तर्गत अपने आपको कडी अनुशासनिक कार्यवाही का दायी बनाया है।

(सतिन्द्र सिवाच)
संयुक्त निदेशक प्रशासन–।
का० निदेशक सकैण्डरी शिक्षा हरियाणा
पंचकुला।

D:\jaiwal\Sudha Ji\Chargesheet\Ramniwas-7.doc

आरोपों का सारांश विरूद्ध श्री रामनिवास, लिपिक, रा0व0मा0वि0, काहनी, रोहतक अब वर्तमान लिपिक, रा0उ0वि0, जयपुर, जीन्द।

श्री रामनिवास, लिपिक ने वर्ष 2012 से 2017 तक रा0व0मा0वि0, काहनी, रोहतक में कार्य करते हुए निम्नलिखित अनियमितताएं की है:—

यह कि आप वर्ष 2012 से 2017 तक कुल 3 वर्ष 9 माह 20 दिनों तक कार्यालय/विद्यालय में जान बुझकर अनुपस्थिति रहे जो कि आप के स्तर पर घौर कोताही है।

यह कि आप द्वारा (आचरण निमय 2016) की धारा 4 और नियम—5 (viii) की उल्लघंना की गई जिसके लिए आप स्वंय जिम्मेवार है।

इस प्रकार श्री रामनिवास, लिपिक ने उपरोक्त अनियमितताएं करते हुए हरियाणा कर्मचारी आचरण नियमावली 2016 के नियम, 4 (1) (ii) तथा (iii) और नियम—5 (viii) की उल्लंघना की है।

उपरोक्त अनियमितताएं **श्री रामनिवास, लिपिक, रा0उ0वि0, जयपुर, जीन्द** के गंभीर कदाचार को व्यक्त करती है। ऐसा करके उन्होनें हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 की धारा—7 के अन्तर्गत अपने आपको कडी अनुशासनिक कार्यवाही का दायी बनाया है।

(सतिन्द्र सिवाच)
संयुक्त निदेशक प्रशासन—I
का0 निदेशक सकैण्डरी शिक्षा हरियाणा
पंचकुला।

Off.: 30 Bays Building, 3rd Floor, Sector 17-B, Chandigarh 160017 (India) Tel: 91(0172)-2701333 Fax:)- 91(0172)2701347
कार्यालयः 30 बेज बिल्डिंग, तृतीय तल, सैक्टर 17—बी चण्डीगढ—160017 (भारत) दूरभाष : 91 (0172) 2701333 फैक्स: 91 (0172) 2701347

श्री रामनिवास, लिपिक के विरूद्व दस्तावेजों/गवाहों की सूची।

दस्तावेजों की सूचीः–

1. जिला शिक्षा अधिकारी, रोहतक से प्राप्त जांच रिपोर्ट दिनांक 18.03.2019 की प्रति।
2. हाजिरी रजिस्टर, रा0व0मा0वि0 काहनी, रोहतक।

गवाहों की सूचीः–

1. खण्ड शिक्षा अधिकारी, रोहतक।
2. प्राचार्य, रा0व0मा0वि0, लाढ़ौत, रोहतक।
3. प्राचार्य, रा0व0मा0वि0, रिठाल, रोहतक।
4. अनुभाग अधिकारी, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, रोहतक।
5. सहायक, कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी, रोहतक।

(सतिन्द्र सिवाच)
संयुक्त निदेशक प्रशासन–I
का0 निदेशक सकैण्डरी शिक्षा हरियाणा
पंचकुला।

D:\jaiwal\Sudha Ji\Chargesheet\Ramniwas-7.doc

GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
Directorate School Education
विद्यालय शिक्षा निदेशालय
e-mail: edusecondary@hry.nic.in

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development
EDUCATION DEPARTMENT
शिक्षा विभाग, हरियाणा
तमसो मा ज्योतिर्गमय
From Darkness lead me to Light

आदेश क्रमांक 5/137-2018 HRME-1 (3) **दिनांक, पंचकुला** 12-2-2020

1. इसके द्वारा **श्री आनन्द कुमार, लिपिक, रा0व0मा0वि0, मानहेरू, भिवानी** को सूचित किया जाता है कि संलग्न विवरण में दिये गये आरापों के आधारों पर हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियमावली, 2016 के नियम–7 के अन्तर्गत उनके विरूद्व कार्यवाही करना प्रस्तावित किया गया है। ये आरोप उससे अनुबद्ध अभिकथनों के विवरण पर आधारित है।
2. इसके द्वारा **श्री आनन्द कुमार, लिपिक,** से उनके द्वारा इस ज्ञापन की प्राप्ति की तिथि से 45 दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में बताने की अपेक्षा की जाती है कि वे सभी आरोपों या उनमें से किसी को स्वीकार करते हैं या नहीं। उन्हें स्पष्टीकरण या प्रतिवेदन, यदि कोई, प्रस्तुत करना है और क्या वे व्यक्तिगत रूप में अपनी सुनवाई चाहते हैं।
3. इसके द्वारा **श्री आनन्द कुमार, लिपिक** को आगे सूचित किया जाता हैं कि यदि वे अपने लिखित कथन को तैयार करने के प्रयोजन के लिए सुसंगत सरकारी अभिलेखों को देखना चाहते है तो उन्हें निदेशक विद्यालय शिक्षा हरियाणा, पंचकुला के कार्यालय में उनके साथ पहले समय नियत करने के बाद, किसी कार्य दिवस को, उनका निरीक्षण कर सकते है। फिर भी यह बताया जाता है कि उन्हें केवल ऐसे ही दस्तावेज दिखाये जायेंगे, जोकि निदेशक विद्यालय, शिक्षा हरियाणा, पंचकुला के पास हैं और जो मामले के साथ पूरी तरह से सुसंगत हैं। यदि सरकार की राय में उन्हें किन्ही दस्तावेजो को दिखाने की अनुमति देना वांछनीय नहीं है तो उन्हे यह दस्तावेज दिखाने से इन्कार कर दिया जायेगा। यदि **श्री आनन्द कुमार, लिपिक** ऐसे किसी अन्य सुसंगत अभिलेख को देखना चाहते है जो निदेशक विद्यालय शिक्षा हरियाणा, पंचकुला की अभिरक्षा में नही है तो उनका निरीक्षण करने की जिम्मेवारी उनकी अपनी होगी। फिर भी **श्री आनन्द कुमार, लिपिक** को यह बात स्पष्ट की जाती है कि उनके द्वारा उक्त दस्तावेज का निरीक्षण न किया जा सकना उनके लिखित कथन को भेजने में देरी के लिए वैध आधार नहीं माना जायेगा और यदि लिखित कथन निम्नहस्ताक्षरकर्ता को निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है तो यह समझा जायेगा कि उन्हे इस सम्बन्ध में कुछ भी प्रस्तुत नहीं करना है।
4. लिखित कथन सीधे निम्नहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करना चाहियें।
5. संलग्न पत्रों सहित इस ज्ञापन की पावती भेज दी जाये।

(सतिन्द्र सिवाच)
संयुक्त निदेशक प्रशासन–।
का0 महानिदेशक सकैण्डरी शिक्षा हरियाणा
पंचकुला।

Regd.
सेवा में,

श्री आनन्द कुमार, लिपिक .
रा0व0मा0वि0, मानहेरू, भिवानी।

पृष्ठांकन क्रमांक सम **दिनांक, पंचकुलाः–** 13-2-2020

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतू भेजी जाती हैः–

1. **जिला शिक्षा अधिकारी, भिवानी।**
2. **प्रधानाचार्य, रा0व0मा0वि0, मानहेरू, भिवानी।**
3. **आई0टी0 सैल।**

12/2/2020

अधीक्षक एच0आर0एम0ई0–।
कृतेः महानिदेशक सैकेण्डरी शिक्षा हरियाणा
पंचकूला।

D:\Sudha Pandey\Charge Sheet format rule -7 Anand Kumar.doc

GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
Directorate School Education
विद्यालय शिक्षा निदेशालय
e-mail: edusecondary@hry.nic.in

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development
EDUCATION DEPARTMENT
शिक्षा विभाग, हरियाणा
तमसो मा ज्योतिर्गमय
From Darkness lead me to Light

आरोपों का सारांश विरूद्ध श्री आनन्द कुमार, लिपिक, रा0व0मा0वि0, मानहेरू, भिवानी ।

श्री आनन्द कुमार, लिपिक, ने रा0व0मा0वि0, मानहेरू, भिवानी में वर्ष 2017 से अब तक कार्य करते हुए निम्नलिखित अनियमितताएं की है:–

1. यह कि आप द्वारा **रा0व0मा0वि0, मानहेरू, भिवानी** में वर्ष 2017 में प्राचार्य की अनुमति के बिना लगभग रूपये 7,62,652/– की गम्भीर वित्तिय विसंगतीयां की गई है।
2. यह कि आप द्वारा **रा0व0मा0वि0, मानहेरू, भिवानी** में फर्जी टाईप–टैस्ट के आधार पर सैलरी में अनुचित लाभ लिया गया है।
3. यह कि आप द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुए स्वयम् की सेवा पंजिका के पृष्ठ क्रमांक 32 से 35 पर कटिंग कर तथ्यों को छिपाने का प्रयास किया गया है।
4. यह कि आप द्वारा स्वयं की सेवा पंजिका में इनका जी0आई0एस0 न0. 112373 व एच0आर0एस0एस0 पर 121334 दर्ज होने पर भी खण्ड शिक्षा अधिकारी, भिवानी को लिखकर नया जी0आई0एस0 नम्बर लेने की प्रार्थना की तथा अधिकारीगण को गुमराह करने का प्रयास किया गया।
5. यह कि आप द्वारा स्कूल सम्बन्धित जो भी राशि चालान द्वारा ई–ग्रास के माध्यम से जमा करवाई गई है, वह अपनी व्यक्तिगत आई0डी0 द्वारा जमा करवाई गई हैं। इस मामले की जानकारी होने के उपरान्त दिनांक 28.03.2019 को प्राचार्य द्वारा नई ई–ग्रास आई0डी0 बनवाई गई ।
6. यह कि आप द्वारा न केवल स्कूल/विभाग में बल्कि आई0डी0बी0आई0 बैंक भिवानी में स्वयं की सैलरी स्टेटमैन्ट पर DDO के फर्जी हस्ताक्षर कर गलत तरीके से लोन लेने का प्रयास किया गया।

इस प्रकार **श्री आनन्द कुमार लिपिक** ने उपरोक्त अनियमितताएं करते हुए हरियाणा सिविल सेवा (सरकारी कर्मचारी आचरण) नियमावली 2016 के नियम, 4 (i), (ii), (iii) तथा (iv) की उल्लंघना की है।

उपरोक्त अनियमितताएं **आनन्द कुमार, लिपिक रा0व0मा0वि0 मानहेरू, भिवानी** के गंभीर कदाचार को व्यक्त करती है। ऐसा करके उन्होनें हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियमावली, 2016 की नियम–7 के अन्तर्गत अपने आपको कडी अनुशासनिक कार्यवाही का पात्र बनाया है।

(सतिन्द्र सिवाच)
संयुक्त निदेशक प्रशासन–।
का0 महानिदेशक सकैण्डरी शिक्षा हरियाणा
पंचकुला।

D:\Sudha Pandey\Charge Sheet format rule -7 Anand Kumar.doc

GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
Directorate School Education
विद्यालय शिक्षा निदेशालय
e-mail: edusecondary@hry.nic.in

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development
EDUCATION DEPARTMENT
शिक्षा विभाग, हरियाणा
तमसो मा ज्योतिर्गमय
From Darkness lead me to Light

आरोपों का विवरण विरूद्ध आनन्द कुमार, लिपिक रा0व0मा0वि0 मानहेरू, भिवानी।

आनन्द कुमार, लिपिक ने **रा0व0मा0वि0 मानहेरू, भिवानी** में वर्ष 2017 से अब तक कार्य करते हुए निम्नलिखित अनियमितताएं की हैः–

1. यह कि आप द्वारा सरकारी राशि का दुरूपयोग किया है तथा काफी वित्तयां अनिमितताएं की गई है। आप द्वारा श्री अमरजीत, जे0बी0टी0, पूनम चन्द, सुख सहायक तथा स्वयं के खाते में लगभग **7,62,652/– रूपये** की राशि की ओवर पेमेंट प्राचार्य की अनुमति/जानकारी व प्राचार्य के जाली हस्ताक्षर करके की गई है।
2. यह कि आप द्वारा **रा0व0मा0वि0, मानहेरू, भिवानी** में फर्जी टाईप–टैस्ट के आधार पर सैलरी में अनुचित लाभ लिया गया है।
3. यह कि आप द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुए स्वयम् की सेवा पंजिका के पृष्ठ कमांक 32 से 35 पर कटिंग कर तथ्यों को छिपाने का प्रयास किया गया है। प्राचार्य की आदेश पुस्तिका के माध्यम से बार–बार अनुरोध करने पर भी लम्बे समय तक अपनी सेवापंजीका अपने घर पर रखने के बाद जमा करवाई गई है।
4. यह कि आप द्वारा स्वयं की सेवा पंजिका में इनका जी0आई0एस0 न0. 112373 व एच0आर0एस0एस0 पर 121334 दर्ज होने पर भी खण्ड शिक्षा अधिकारी, भिवानी को लिखकर नया जी0आई0एस0 नम्बर लेने की प्रार्थना की तथा अधिकारीगण को गुमराह करने का प्रयास किया गया। आदेश पुस्तिका के माध्यम से इसका कारण पुछने पर इसका कोई जवाब नहीं दिया गया है।
5. यह कि आप द्वारा स्कूल सम्बन्धित जो भी राशि चालान द्वारा ई–ग्रास के माध्यम से जमा करवाई गई है, वह अपनी व्यक्तिगत आई0डी0 द्वारा जमा करवाई गई हैं। इस मामले की जानकारी होने के उपरान्त दिनांक 28.03.2019 को प्राचार्य द्वारा नई ई–ग्रास आई0डी0 बनवाई गई। आदेश पुस्तिका के माध्यम से इसका कारण पुछने पर इसका कोई जवाब नहीं दिया गया है।
6. यह कि आप द्वारा न केवल स्कूल/विभाग में बल्कि आई0डी0बी0आई0 बैंक भिवानी में स्वयं की सैलरी स्टेटमैन्ट पर DDO के फर्जी हस्ताक्षर कर गलत तरीके से लोन लेने का प्रयास किया गया।

इस प्रकार **श्री आनन्द कुमार, लिपिक** ने उपरोक्त अनियमितताएं करते हुए हरियाणा कर्मचारी आचरण नियमावली 2016 के नियम, 4 (i), (ii), (iii) तथा (iv) की उल्लंघना की है।

उपरोक्त अनियमितताएं **श्री आनन्द कुमार, लिपिक, रा0व0मा0वि0, मानहेरू, भिवानी** के गंभीर कदाचार को व्यक्त करती है। ऐसा करके उन्होंनें हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 की धारा–7 के अन्तर्गत अपने आपको कडी अनुशासनिक कार्यवाही का पात्र बनाया है।

(सतिन्द्र सिवाच)
संयुक्त निदेशक प्रशासन–I
का0 महानिदेशक सकैण्डरी शिक्षा हरियाणा
पंचकुला।

D:\Sudha Pandey\Charge Sheet format rule -7 Anand Kumar.doc

GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
Directorate School Education
विद्यालय शिक्षा निदेशालय
e-mail: edusecondary@hry.nic.in

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development
EDUCATION DEPARTMENT
शिक्षा विभाग, हरियाणा
तमसो मा ज्योतिर्गमय
From Darkness lead me to Light

श्री आनन्द कुमार, लिपिक के विरूद्व दस्तावेजों/गवाहों की सूची।

दस्तावेजों की सूचीः–

1. जिला शिक्षा अधिकारी, भिवानी से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 10.05.2019 की प्रति।
2. प्राचार्य, रा0व0मा0वि0, मानहेरू, भिवानी से प्राप्त पत्र दिनांक 12.11.2018 की प्रति।
3. जाचं अधिकारी, श्री सत्यपाल गहलोत, प्रशासनिक अधिकारी, निदेशक मौलिक शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला की जांच रिपोर्ट।

गवाहों की सूचीः–

1. जिला शिक्षा अधिकारी, भिवानी।
2. श्री पवन कुमार, प्राचार्य, रा0व0मा0वि0, मानहेरू, भिवानी।
3. श्री जसविन्द्र सिंह, अनुभाग अधिकारी, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, भिवानी।
4. श्री अमरजीत सिंह, जे0बी0टी0, अध्यापक।
5. श्री नरसिंह, आंकड़ा सहायक, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, भिवानी।
6. श्री महावीर सिंह, सहायक, कार्यालय सैकेण्डरी शिक्षा निदेशालय, हरियाणा, पंचकूला।

(सतिन्द्र सिवाच)
संयुक्त निदेशक प्रशासन–।
का0 महानिदेशक सकैण्डरी शिक्षा हरियाणा
पंचकुला।

D:\Sudha Pandey\Charge Sheet format rule -7 Anand Kumar.doc